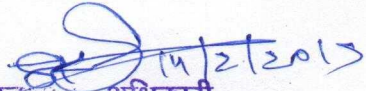


विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 225

श्यामपुर जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाये जाने हेतु सर्वेक्षित, साक्ष्य एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित डी.पी.आर. तथा सर्वेक्षण उपरान्त असाध्य योजनाओं की जानकारी

स. क्रं.	सर्वेक्षित योजना का नाम	साध्य / असाध्य	असाध्य होने का कारण	डी.पी.आर. की स्थिति
1	चेंटीखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना	परीक्षणाधीन	—	प्रस्तावित स्थल पर मध्यम सिंचाई योजना की दिनांक 01-04-2016 से प्रभाशील दरों पर पुनरीक्षित डी.पी. आर., राशि रुपये 313.80 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति हेतु, मुख्य अभियंता, बोधी के कार्यालय में परीक्षणाधीन है।
2	धामिनी नदी पर धमनद बांध	असाध्य	योजना का कमाण्ड क्षेत्र प्रस्तावित चेंटीखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में आने के फलस्वरूप विलोपित की गई है।	—
3	गोंवड़ी के पास इडर नदी पर बांध	असाध्य	प्रस्तावित स्थल पर डूब क्षेत्र में वन भूमि 154.88 हेक्टर, निजी भूमि 26.87 हेक्टर एवं शासकीय भूमि 7.50 हेक्टर कुल 189. 25 हेक्टर भूमि प्रभावित होती है। कुल सिंचित क्षेत्र 500 हेक्टर होने से डूब क्षेत्र एवं सिंचित क्षेत्र का अनुपात निर्धारित मापदण्डों से अधिक होने से योजना असाध्य है।	—
4	डोकरका का तालाब	असाध्य	प्रस्तावित योजना की लागत रुपये 3,345. 00 लाख एवं प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 60 हेक्टर होने एवं 215 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होने से योजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं होने के कारण योजना का सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है। योजना की प्रति हेक्टर लागत रुपये 55.75 लाख होने से असाध्य है।	—
5	पिपरवास के कुंडा नाले पर बांध	असाध्य	योजना की लागत रुपये 576.00 लाख एवं प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 125 हेक्टर तथा प्रस्तावित बांध पर योजना के डूब क्षेत्र में 10 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होने से योजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। योजना की तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। योजना की प्रति हेक्टर लागत रुपये 4.61 लाख होने से असाध्य है।	—

स. क्रं.	सर्वेक्षित योजना का नाम	साध्य / असाध्य	असाध्य होने का कारण	डी.पी.आर. की स्थिति
6	मूझरी मध्यम परियोजना	असाध्य	प्रस्तावित योजना की लागत रुपये 25,152.00 लाख एवं सिंचित क्षेत्र 5,100 हेक्टर है। योजना की लागत निर्धारित मापदण्ड से अधिक रुपये 4.93 लाख प्रति हेक्टर होने से योजना असाध्य है।	—
7	कदवाल तालाब	असाध्य	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 20-06-2008 के द्वारा योजना की लागत निर्धारित मापदण्ड से अधिक होने से योजना असाध्य पायी गई है।	—
8	रीछी तालाब	असाध्य	योजना की लागत रुपये 3,172.00 लाख एवं सिंचित क्षेत्र 676 हेक्टर है। योजना की लागत निर्धारित मापदण्ड से अधिक रुपये 4.69 लाख प्रति हेक्टर होने से योजना असाध्य है।	—


 अनुमति अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन,
 जल संसाधन विभाग,
 मंत्रालय, भोपाल